

(b) if so, in what manner they are being propagated among women to educate them about their rights; and

(c) who are entrusted with the responsibility of teaching women?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI SR. BOMMAI): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The Legal Literacy Manuals have been sent to State Governments, Union Territory Administrations and voluntary organisations for use in educating women on their rights. The Manuals have also been translated into regional languages for more effective dissemination. The Manuals are disseminated through the Legal Awareness Generation Camps funded through the Central Social Welfare Board and the programme of Education work for Prevention of Atrocities against Women. In addition, these Manuals are also being disseminated through other Government programmes such as the Total Literacy Campaigns.

#### Reservation Quota In Guwahati-New Delhi Rajdhani Express

3047. SHRI W. ANGOU SINGH: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether reservation quota of berths in AC 3 tier by Guwahati-New Delhi Rajdhani Express has been allotted to Assam;

(b) if so, the details thereof and whether similar quotas will be made for other States of North-East region, if not, the reasons therefor;

(c) whether there will be computerised reservation facilities in the States of Manipur, Nagaland, Mizoram, Meghalaya, Tripura, Arunachal Pradesh and Sikkim; and

(d) if so, by when?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SATPAL MAHARAJ): (a) and (b) A reservation quota of 96 berths in AC 3-tier has been provided at stations in the State of Assam. In order to meet the traffic demand of other North-Eastern States including Sikkim, a total reservation quota of 48 berths in AC 3-tier has also been provided to Out Agencies serving these States.

(c) and (d) Computerised reservation facilities are already operational at Shillong in Meghalaya. In the Annual Plan for the current financial year, provision of these facilities has been approved for Agartala, Aizawl, Itanagar, Imphal, Kohima and Gangtok and are expected to become operational shortly.

#### भोपाल स्थित इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय से प्राचीन वस्तुओं का गायब होना

3048. श्री राधकजी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान विभिन्न समाचार पत्रों में छपे इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि भोपाल स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय से करोड़ों रुपये मूल्य की प्राचीन वस्तुएं एवं नमूने जिनकी संख्या 3,000 बताई गई है, गायब हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है, यदि नहीं, तो तत्संबंधी क्यों क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि इस संग्रहालय के वर्तमान निदेशक की नियुक्ति से लेकर अब तक वस्तुओं और नमूनों के स्टॉक की जांच नहीं की गई है; और

(घ) क्या इस मामले की जांच सी-बी-आई-0 से कराई जाएगी, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस०आर० बोम्मई): (क) और (ख) जी, हां। तथापि, उल्लेखनीय है कि इस मामले में की गयी विस्तृत आंतरिक जांच के अनुसार उक्त समाचार गलत सूचना पर आधारित प्रतीत होता है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय लोक व बर्तनीय आबादी संबंधी जीवत संस्कृतियों के संबंध में

वस्तुओं के संग्रह करने के कार्य में लगा हुआ है ना कि पुरावशेषों के संग्रह में। 31.3.96 की स्थिति के अनुसार, महालेखाकार मध्य प्रदेश द्वारा परीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के 9543 नमूनों के संपूर्ण संग्रह का मूल्य लगभग 33.00 लाख रुपये है।

इसको मरदेनजर रखते हुए, आगे कोई जांच कराने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। यह सच नहीं है। इसके विपरीत, उल्लेखनीय है कि वास्तविक सत्यापन और अधिग्रहण रजिस्टर में उनकी सूचीबद्ध करना, संग्रहालय में समक्षणिक व अनवरत प्रक्रिया है, जो संग्रहालय की स्थापना के समय से जारी है। तथापि, वर्तमान निदेशक के कार्यकाल के दौरान, कार्यात्मक श्रेणियों के अनुसार, 7200 वस्तुओं का प्रणालीबद्ध तरीके से सत्यापन, भंडारण, छायांकन, सूचीबद्धन पहले ही किया जा चुका है और आंकड़ा-पत्र अनुपूरक व्यौरों सहित पूरे कर लिए गए हैं। भंडार में उपलब्ध और अधिग्रहण रजिस्टर में दर्ज शेष 2343 नमूनों को इसी प्रकार छायाचित्रों व अनुपूरक व्यौरों सहित सूचीबद्ध किए जाने का कार्य शेष है। अभी तक लुप्त वस्तुओं के किसी भी मामले का पता नहीं चला है। इसको ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय जांच-ब्यूरो द्वारा इस मामले की जांच किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

#### Slow Progress in Reforms in Agriculture

3049. DR. D. VENKATESHWAR RAO: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether piecemeal application of reforms hits agricultural sector;

(b) if so, the main reasons for slow progress in regard to the application of reforms in agriculture;

(c) whether Government are considering to introduce immediate reforms in agricultural sector; and'

(d) if so, the steps being considered in this regard?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI CHATURANAN MISHRA): (a) to (d) The package of reforms carried out in the agriculture sector include liberalization of inter-state movement of foodgrains, promotion of exports

of agricultural commodities, greater focus on development of rainfed farming, adoption of Technology Mission mode for development of oilseeds and pulses, promoting cropping system approach for increasing crop production, greater access to farm credit, higher minimum support prices of agricultural commodities etc. These reforms have helped in improvement of agricultural productivity and production.

**भोपाल गैस पीड़ितों को मुआवजे का भुगतान किया जाना**

3050. श्री नारायण प्रसाद गुप्ता: क्या रसायन और ऊर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कई संसद सदस्य तथा नागरिक भोपाल के शेष 20 वार्डों के गैस-पीड़ितों को भी उसी तर्ज पर मुआवजे का भुगतान करने की मांग कर रहे हैं जिस तरह वहां के 36 अन्य वार्डों के गैस-पीड़ितों को भुगतान किया गया था और

(ख) यदि हां, तो उक्त मांग कब तक पूरी हो जाने की सम्भावना है?

रसायन और ऊर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीश राम ओरा): (क) और (ख) दिसम्बर, 1984 में हुई भोपाल गैस रिसाव विभीषिका के बाद उठाए गए रहत तथा पुनर्वास कार्यों के एक भाग के रूप में किए गए सर्वेक्षण के आधार पर, राज्य सरकार ने भोपाल शहर के 36 म्यूनिसिपल वार्डों को गैस प्रभावित क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया है। इन 36 वार्डों में रहत सहायता का विवरण किया गया तथा इन 36 वार्डों के क्षेत्र को एक मुख्य चिकित्सा अधिकारी की देख रेख में एक अलग चिकित्सा जिला के रूप में स्थापित किया गया था। इन 36 प्रभावित वार्डों में पीड़ितों को अन्तरिम सहायता देने की योजना का अनुमोदन 1990 में उच्चतम न्यायालय द्वारा किया गया था। इन 36 वार्डों में पुनर्वास कार्य के लिए राज्य सरकार ने एक पंचवर्षीय कार्य-योजना बनाई है। अतः जिन 36 वार्डों को राज्य सरकार द्वारा 1985 में गैस प्रभावित क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया था उन्हें उसी समय से वृत्ती रूप में मान्यता प्राप्त है। गैस से प्रभावित लोगों को मुआवजा से संबंधित मामलों का अधिनिर्णय भोपाल गैस विभीषिका (दावा कार्यवाही) अधिनियम, 1985 और उसके अन्तर्गत बनी योजना के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जा रहा है। अधिनियम के तहत निम्न कल्याण आयुक्त,